विलोपित विलोपित (10)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ....R...... I/13

R - 574-I/13

श्री श्रीमान शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 11/2/13 को प्रस्तुत

11-2-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11/2/13

राधेश्याम पुत्र बैताल सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरबाई तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

..........................आवेदक

बनाम

1—महिला कमला देवी कथित पुत्री बैताल सिंह पत्नी शिवचरन जाति ब्राहम्ण झण्डाधारी हनुमान मन्दिर के पास तानसेन रोड लोको के पास ग्वायिलर तह0 व जिला ग्वालियर

..........असल / अनावेदक

2—विशेश्वर पुत्र वाचाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम वरवाई तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

.......तरतीवी / अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28/12/2012 न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय मुरैना के प्र0क0 74/11—12 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है—

01— यह कि ग्राम वरवाई तह0 पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि के आवेदक एवं तरतीवी अनावेदक के चाचा चन्दनलाल आजीवन भूमि स्वामी व आधिपत्य धारी रहे ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 574–एक/2013 निगरानी जिला मुरैना

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-7-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 74/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–12–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि स्वर्गीय चन्दनलाल पुत्र रघुवर ब्राहमण के खाते की भूमि पर आवेदक एंव तरतींवी पक्षकार का नामांत्रण ग्राम नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 11 पर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 24–3–2007 से किया गया है, जिसके विरूद्व अनावेदक कमांक–1 ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष दिनांक 11–6–2007 को अपील कमांक 82/06–07 प्रस्तुत की, जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 11–6–2007 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा दिया गया एंव प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। आवेदक एंव तरतींवी अनावेदक ने इस आदेश की निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 74/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–12–2012 निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत कर मांग की गई है कि महिला कमला देवी मृतक खातेदार चन्दनलाल की कोई नहीं है इसलिये उसे अपील करने की अधिकारिता नहीं है जबकि महिला कमला देवी के अभिभाषक के	

अनुसार मृतक खातेदार चन्दनलाल की वह भतीजी है। विचार योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये प्रकरण साक्ष्य में लगाने में किसी प्रकार की त्रृटि की है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव अवधि विधान 1963 की धारा–5 में व्यवस्था दी गई है कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह अवधि विधान की धारा–5 में दिये गये कारणों से संतुष्ट है विलम्ब क्षमा कर सकता है। आवेदक की आपत्ति यह है कि महिला कमलादेवी मृतक खातेदार चंदनलाल की कोई नहीं है जबकि महिला कमला देवी के अनुसार वह मृतक खातेदार चन्दनलाल की भतीजी है और यह जांच से एंव साक्ष्य से ही पता लगाया जा सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–6–07 उचित प्रतीत होता है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर मुरैना से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 74/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–12–2012 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य